The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 2 | Issue 3 | March 2024
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

घरेलू हिंसा का महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव

अनुराग सिंह
शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा,(महाराष्ट्र)

डॉ0 रूबी द्विवेदी
पूर्व शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग, श्री अग्रसेन कन्या पी जी कालेज परमानन्द, वाराणसी

घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या हैं जो हमारे देश में सदियों से मौजूद है और हमेशा भारतीय समाज का हिस्सा रही है। लैंगिक असमानता का मूल कारण पितृसतात्मक व्यवस्था है जो समाज में मौजूद है। यह किसी प्रकार की उत्तेजना के साथ-2 कई अवक्षेपण कारको का परिणाम है। किन्तु वर्तमान समाज में इसकी अधिक गंभीर अभिव्यक्तियां हैं क्योंकि आधुनीकरण और तकनीकी विकास की प्रक्रिया के कारण घरेलू हिंसा की प्रकृति में काफी बदलाव आया है । महिलाओं के खिलाफ हिंसा गंभीर रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और इसे एक सामाजिक मुद्दे के रूप में माना जाता हैं । हिंसा की शिकार महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना आवश्यक है ।

भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एक ज्वलंत सामाजिक समस्या है। 'सामाजिक समस्या सामाजिक संगठन एवं मानवीय सम्बन्धो से आबद्ध होती है अतः इसकी प्रकर्षत जटिल है। सामाजिक संगठन एवं मानवीय सम्बंधो में परिवर्तन के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती जाती है तथा यदि इनका समाधान शीघ्रता से नही किया जाता है तो सामाजिक व्यवस्था में उथल-पुथल की स्थिति पैदा हो जाती है। किसी भी समाज में सामाजिक समस्याओं की उत्पत्ति के लिए अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं। सामाजिक संगठन में जब नियमविहीनता, सामंजस्य का आभाव और प्रचलित मूल्यों, आदर्शो व नियामों में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो अनेक प्रकार की समस्यायें जन्म लेती हैं।

घरेलू हिंसा एक ऐसा शारीरिक या मानसिक कार्य है जो किसी महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक जीवन को खतरा, संकट की स्थिति, आर्थिक नुकसान जो असहनीय है जिसके कारण महिलाएं अपमानित होती हैं। इसके तहत शारीरिक हिंसा, मौखिक व भावनात्मक हिंसा, लैंगिक व आर्थिक हिंसा या धमकी देना शामिल है। महिलाओं के साथ मानसिक व शारीरिक रूप से रंग-भेद या अन्य किसी भी कारण से किया गया असहनीय व्यवहार घरेलू हिंसा कहलाता है। घरेलू हिंसा आधिनियम का निर्माण सन 2005 मे किया गया और 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। हमारे देश में बालिकाओं में शिक्षा का अभाव सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। आज ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा का अभाव पाया जाता हैं । भारतीय समाज में घरेलू हिंसा से तात्पर्य, महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे मामा –मामी, भाई –बहन , सास-ससुर, ननद -भाभी या परिवार के किसी

सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार है जो नारी को शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक आघात पहुंचा है। महिलाओं को शारीरिक मानसिक व मौखिक रूप से प्रताडित किये जाने वाले कार्य घरेलू हिंसा कहलाता है। महिलाओं को आज अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। जो घरेलू हिंसा की समस्याओं को जन्म भी देती है जिसे प्रताड़ना-बलात्कार, यौन उत्पीडन, वेश्यावृति आदि के रूप भी देखा जा सकता है।

महिलाओं के विरूद्ध घर और बाहर बढ़ती हिंसा, सरकार और समाज दोनों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के आंकड़े और प्रशासन की उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही भी निरंतर चर्चा में हैं। इनकी रोकथाम और पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए सबसे पहली आवश्यकता न केवल कानून और प्रशासकीय व्यवस्था की है, बल्कि महिलाओं को ऐसी कानून व्यवस्था और सहायता सेवा देने वाली संस्थाओं के बारे में जानकारी देने की है। महिलाओं की समस्याएं समाज में भिन्न-भिन्न है, भारतीय समाज में महिलाएँ शिक्षित एवं अशिक्षित दोनो प्रकार की है। पारिवारिक जीवन में सामंजस्य केवल पति-पत्नी की वजह से नहीं अपितु परिवार के समस्त सदस्यों के व्यवहार के द्वारा उत्पन्न होता है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने हेतु आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारतीय समाज तीन वर्गों में विभक्त है - उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग । फलस्वरूप तीनों वर्गों की महिलाओं की समस्याएँ अपने वर्ग विशेष पर निर्भर करती है। भारतीय समाज में महिला-पुरुष दोनो को समान दर्जा प्राप्त है। फिर भी पढ़ी लिखी व स्वावलम्बी महिला को न तो भारतीय समाज ने बराबरी का दर्जा दिया है और न स्वय महिला खुद को बराबर समझने की मानसिकता बना पाई है। वर्तमान परिवेश में युगल जोड़े परंपरागत बंधन तोड़कर परिवार की उन्नति व विकास के लिए घर से बाहर निकले और दोनो काम करने लगे जिससे महिलाओं के सामाजिक व मानसिक स्तर में काफी बदलाव आया। पहले काम करने वाली महिलाओं हीन दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आज परिस्थितवश मध्यमवर्गीय लोगों का नजरिया भी बदलने लगा है।

उद्देश्य :-

1. घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों को ज्ञात करना।
2. यह ज्ञात करना कि घरेलू हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का कारण स्वयं महिलायें तो नहीं हैं।
3. यह ज्ञात करना कि स्त्रियां स्वयं घरेलू हिंसा खत्म करने के प्रति कितनी जागरूक है।
4. यह ज्ञात करना कि घरेलू हिंसा में होने वाली निरन्तर वृद्धि के क्या कारण है।

परिकल्पना :-

1. शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलायें घरेलू हिंसा की ज्यादा शिकार होती है।
2. घरेलू हिंसा का मुख्य कारण दहेज है।

3. आज भी महिलायें घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानूनों का प्रयोग करने से हिचकती है और चुपचाप अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहती है।
4. शिक्षा तथा मीडिया के प्रभाव से महिलाए धीरे-धीरे जागरूकत होने लगती है तथा अपने विरूद्ध हो रहे अत्याचारों का विरोध भी करने लगी है

शोधविधि

प्रस्तुत लघु शोध एक अनुभविक अध्ययन है। इसलिए इसमें वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक दोनो ही शोध प्रारूपो का प्रयोग किया गया है। भारतीय समाज मे घरेलू हिंसा से सम्बन्धि वास्तविक एवं विश्वसनीय आकड़ो को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ो का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक आकड़े को साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से प्राप्त किया गया है। जबकि द्वितीयक आकड़े घरेलू हिंसा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकाशित एवं अप्रकाशित पुस्तकों, शोध पत्रपत्रिकाओं-, समाचार पत्रों आदि से एकत्र किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र

प्रस्तुत लघु शोध में वाराणसी जिले के शिवपुर क्षेत्र के महिलाओ को अध्ययन क्षेत्र के के रूप में चयनित किया गया है। तथा उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से महिलाओं का चयन किया गया है। 50

आकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन

शोधकर्ता द्वारा तथ्यों को प्राप्त करने के बाद संकलित तथ्यों को सारणी के रूप में प्रस्तुत किया गया हैं।

घरेलू हिंसा एवं मानसिक रोग

सन् 1930 के संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार, किसी भी प्रकार की सार्वजनिक या निजी जीवन में होने वाली लिंग आधारित हिंसा जिसके द्वारा स्त्रियों को शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक अथवा मैथुनिक अहित होता हो या उन्हें पीड़ा पहुंचती हो। स्त्रियों के प्रति की गई हिंसा सर्वव्यापक है। यह सभी देशों, वर्गों, जातियों, प्रजातियों, शिक्षित, अशिक्षित तथा सभी आयु वर्गों में देखी जा सकती है।

यह समस्या कोई नई नहीं है भारतीय समाज में स्त्रियां एक लम्बे काल से मारपीट, यातना और शोषण का शिकार रही है। 1. घर का निजी क्षेत्र 2. समुदाय और कार्य स्थल का सार्वजनिक क्षेत्र, घर की चाहरदीवारी के भीतर किसी भी महिला को शारीरिक एवं मानसिक चोटे पहुंचाना ही घरेलू हिंसा है इस विषय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो निम्न आंकड़े सामने आये है-

सारणी संख्या - 1

घरेलू हिंसा एवं उत्तरदाताओं की जानकारी

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	47	94
नहीं	03	06
योग	50	100

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि 94 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह पता है कि घरेलू हिंसा क्या है तथा 06 प्रतिशत उत्तरदाताओं को आज भी यह नहीं पता है कि घरेलू हिंसा क्या है।

घरेलू हिंसा अधि नियम के बारे में जानकारी

घरेलू हिंसा अधिनियम बनने के बावजूद अनेकों महिलाओं को यह नहीं पता है कि यह अधिनियम कब बना इस विष्ज्ञय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो निम्नांकित आंकड़े सामने आये-

सारणी संख्या - 2

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के विषय में उत्तरदाताओं की जानकारी

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	15	30
नहीं	95	70
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं अर्थात 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह नहीं पता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ तथा 30 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही पता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ।

घरेलू हिंसा का स्त्रियों की पुरूषों पर निर्भरता का परिणाम

स्त्री तथा पुरूष में व्याप्त सामाजिक असमानता तथा स्त्री का पुरूष के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर होना ही घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है इस विषय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो निम्म्लिखत आंकड़े सामने आये।

सारणी संख्या - 3

घरेलू हिंसा स्त्रियों की पुरूषों पर निर्भरता का परिणाम के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की जानकारी

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	27	54
नहीं	20	40
कह नहीं सकते	3	06
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है 54 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि घरेलू हिंसा का कारण की स्त्रियों पुरूषों के ऊपर निर्भरता है जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत नहीं है तथा 06 प्रतिशत इस विषय में अपनी कोई राय नहीं रखते अर्थात् वे परिस्थिति विशेष के अनुसार अपनी राय रखते है।

स्त्रियों में बढ़ती आत्महत्या एवं घरेलू हिंसा -

आज स्त्रियों में आत्महत्या की प्रव्रत्ति दिन- प्रतिदिन बढ़ती जा रही है इसका मूल कारण कहीं घरेलू हिंसा तो नहीं, इस विषय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो निम्न आंकड़े सामने आये।

सारणी संख्या 4

स्त्रियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवत्ति तथा घरेलू हिंसा के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की जानकारी

विवरण	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	32	64
नहीं	06	12
कह नहीं सकते	12	24
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 64 प्रतिशत उत्तरदाता महिलाओं में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृति को घरेलू हिंसा का परिणाम मानते है जबकि 12 प्रतिशत का इस बात को स्वीकार नहीं करते तथा 24 प्रतिशत महिलाएं इस सन्दर्भ में कोई राय नहीं रखते अर्थात् वे परिस्थिति विशेष के अनुसार अपनी राय रखते है।

घरेलू हिंसा का मुख्य कारण दहेज

दहेज जो हमारे समाज की मुख्य समस्या है उसकी बढ़ती मांग ने कहीं न कहीं घरेलू हिंसा को बढ़ावा दिया है इस विषय में जब उत्तरदाताओं से पूछा गया तो निम्नलिखित आकड़े सामने आये।

सारणी संख्या 06

घरेलू हिंसा का मुख्य कारण दहेज के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं की जानकारी

जानकारी	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	36	72
नहीं	11	22
पता नहीं	3	06
योग	50	100

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि 72 प्रतिशत उत्तरदाता इस बात से सहमत है कि घरेलू हिंसा सिर्फ विवाहित महिलाओं के साथ ही होता है जबकि 22 प्रतिशत इस बात से सहमत नहीं है तथा 06 प्रतिशत इस विषय में कोई राय नहीं रखते।

सुझाव-

1. घरेलू हिंसा को समाज से दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम महिलाओं को पूर्ण रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए।
2. घरेलू हिंसा को समाप्त करने के लिए महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना पड़ेगा।
3. समाजीकरण की प्रक्रिया में लड़के तथा लड़कियों में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
4. सर्वप्रथम सामाजिक सोच में परिवर्तन लाना चाहिए कि स्त्री पुरूष एक दूसरे के पूरक है न कि स्त्री पुरूष से निम्न।
5. हिंसा से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान की जाये तथा उचित परामर्श देने के लिए स्वयंसेवी संगठनो की स्थापना की जानी चाहिए।
6. महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोगों को दण्डित किया जाना चाहिये, ताकि उन्हें सबक मिल सके।

7. महिलाओं को रोज़गार हेतु विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने चाहिए, ताकि स्वावलम्बी बन सके।
8. अंतरएजेंसी -, समन्वय कानून प्रवर्तन एजेंसियों स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामाजिक सेवा एजेंसियों बीच प्रभावी समन्वय स्थापित कर घरेलू हिंसा को रोकने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिससे घरेलू हिंसा पर लगाम लग सके।

निष्कर्ष –

आज समाज में बढ़ती मांग के कारण महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, उन्हें जिन्दगी भर पति तथा परिवार वालों द्वारा दी जाने वाली यातना को सहन करना पड़ता है। शिक्षा के प्रसार तथा आधुनिकीकरण ने समाज को तो आधुनिक जरूर बना दिया है परन्तु पुरूषों की मानसिकता स्त्रियों के प्रति आज भी रूढ़िवादी तथा परम्परावादी है। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा के लिए सिर्फ पति ही जिम्मेदार होता है महिलायें स्वयं भी इस हिंसा के लिए कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है, महिला कभी एक दूसरे की प्रतिद्वन्द्वी बनकर तो कभी अपनी मूकबद्धता के कारण घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। महिलाओं पर आदि काल से चल रहे घरेलू हिंसा को केवल शिक्षा एवं जागरूकता के द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। घरेलू हिंसा को कम करने के लिए लोगो को जागरूक होना चाहिए और शिक्षा मे कानूनी शिक्षा को भी शामिल करने से लोगो मे जागरुकता एवं समानता आएगी इसके लिए सभी को एक साथ आगे आना होगा तभी देश मे घरेलू हिंसा पुरी तरह खत्म हो पाएगी।

वर्तमान परिस्थिति को देखने से पता चलता है कि महिलाएँ शोषण, हिंसा व अपराध के प्रति जागरूक हो रही है। पर्दा - प्रथा मे भी कमी आई है। दोहरी भूमिका के साथ –साथ वे बच्चों और परिवारों के विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान करती है। ऐसा नहीं है कि घरेलू हिंसा के लिए सिर्फ पति ही जिम्मेदार होता है महिलायें स्वयं भी इस हिंसा के लिए कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार होती है। महिला कभी एक दूसरे की प्रतिद्वन्दी बनकर वो कभी अपनी मूक बद्धता के कारण घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। घरेलू हिंसा का कानून बनने के बावजूद भी महिलायें इस कानून का प्रयोग करने से हिचकती है, कभी समाज के डर से तो कभी शिक्षा के अभाव में तथा कभी अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए। परन्तु आज शिक्षा के प्रसार तथा महिला सशक्तिकरण के कारण महिलाओं में जागरूकता आने लगी है तथा वे अपने अधिकारों और नारीत्व स्वतन्त्रता के प्रति जागरूक हो रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुमार, जीसतीश और अस्तिगे ., बाल विवाह कारण और परिणाम, तीसरा अवधारणा वाल्यूम 304 रनवम्ब 26, पृ 0 57- 58
2. न्यूमैन वाडेसांगो, सिम्फोरोसा रेम्बे और ओवेंस चबाया)2011हानिकारक पारपंरिक प्रथाओं द्वारा महिलाओं के (खनअधिकारों का उल्लं, मानवविज्ञानी 13(2) : 121- 129
3. कदम एस.एस., चौधरी वीए, महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा भत, वर्तमान, भविष्य के इण्डियन एकेड फॉरेसिक मेड)2011 (33)3 - (261:6
4. महादेवप्पा, टी) .सी.2012यलिंग आधार और सामाजिक न्या (, तीसरी अवधारणा विचारों का एक अन्तर्राष्ट्रीय जर्नल, वाल्यूम 26, नवम्बर 307, पृ17 0-19
5. https ://www.bhaskar.com>News
6. https://www.dristhiias.com>Hindi
7. https://assets.publishing.service.gov.U.K
8. https://iisrest.com
9. https://nhm.gov.in>pdf>asha